UPBJ010015382023

न्यायालय Special Judge (SC/ST) Act, Bijnor

पीठासीन अधिकारी– (Sri Avdhesh Kumar), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06074**

सेशन्स केस संख्या 360/2023

सरकार बनाम नीरज आदि

मै अवधेश कुमार, विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0एक्ट (पी.ए.) बिजनौर आप अभियुक्तगण **नीरज देवी, श्रीमती फल्लो, श्रीमती पूनम, श्रीमती गुडडो, नरेन्द्र कुमार, कपिल, जीतू कुमार, कुन्दन, रामेश, गगन, विशाल, विपिन उर्फ पेपिन** को निम्नवत आरोप से आरोपित करता हूँ–

1– यह कि दिनांक 10.09.2022 को समय 18:00 बजे वहद ग्राम गाजीपुर थाना किरतपुर, जनपद बिजनौर में आपने अपराध कारित करने के उदेश्य से विधि विरूद्व जमाव कर बल्वा किया। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा 147 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा धरेन्द्र सिहॅ एवं उसके परिजनो को लाठी–डंडो से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा 323/149 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा धरेन्द्र सिहॅ एवं उसके परिजनो को लाठी–डंडो से मारपीट कर ऐसी चोटे पहुॅचायी जिससे उसका वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो गया। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा 336 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा धरेन्द्र सिहॅ की मोटर साईकिल व सी0सी0टी0वी कैमरे को तोडकर रिष्टि कारित की। इस प्रकार आपने भा0द0सं0 की धारा 427 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

5– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा धरेन्द्र सिहॅ एवं उसके परिजनो को लोक शान्ति भंग करने को प्रकोपित करने के आशय से गन्दी–गन्दी गालियॅा देते हुए अपमानित किया। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा 504 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

Digitally signed by AVDHESH KUMAR
Date: 2023.05.18 16:43:34 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

6– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा धरेन्द्र सिहॅ एवं उसके परिजनो को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा 506 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

7– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व जनता के दृष्टिगोचर स्थान पर आपने वादी मुकदमा धरेन्द्र सिहॅ एवं उसके परिजनो को अपमानित करने के आशय से लाठी डन्डा से मारपीट कर गन्दी–2 गालियॉ देते हुए जान से मारने की धमकी यह जानते हुए दी कि वह अनुसूचित जाति का सदस्य है। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो धारा 3(1)द एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

8– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा धरेन्द्र सिहॅ एवं उसके परिजनो को लाठी डन्डा से मारपीट कर गन्दी–2 गालियॉ देते हुए जान से मारने की धमकी यह जानते हुए दी कि वह अनुसूचित जाति का सदस्य है। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो धारा 3(1)ध एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि आपका उक्त आरोप हेतु विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

दिनॉक 18–05–2023

(अवधेश कुमार)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट)
बिजनौर।

अभियुक्त को आरोप पढकर सुनाया व समझाया गया, आरोप से अभियुक्तग ने इंकार किया और विचारण की याचना की।

दिनॉक 18–05–2023

(अवधेश कुमार)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट)
बिजनौर।

UPBJ010015382023

न्यायालय Special Judge (SC/ST) Act, Bijnor

सेशन्स केस संख्या 360/2023

सरकार बनाम नीरज आदि

18–05–2023

पत्रावली पेश हुयी। पुकार कराई गयी। पुकार पर अभियुक्तगण **नीरज देवी, श्रीमती फल्लो, श्रीमती पूनम, श्रीमती गुडडो, नरेन्द्र कुमार, कपिल, जीतू कुमार, कुन्दन, रामेश, गगन, विशाल, विपिन उर्फ पेपिन** मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक भी उपस्थित है।

पत्रावली आरोप विरचित किये जाने हेतु नियत है।

आरोप के बिन्दु पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्व विवेचनाधिकारी द्वारा आरोपपत्र प्रेषित किया गया है। ऐसी दशा में अभियुक्तगण नीरज देवी, श्रीमती फल्लो, श्रीमती पूनम, श्रीमती गुडडो, नरेन्द्र कुमार, कपिल, जीतू कुमार, कुन्दन, रामेश, गगन, विशाल, विपिन उर्फ पेपिन के विरूद्व धारा 147,323/149,336,427,504,506 भा0दं0सं0 व **3(1)द, 3(1)ध** एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने हेतु पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में आरोप विरचित किया जाए।

दिनॉक 18–05–2023

(अवधेश कुमार)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0(पी.ए.)एक्ट
बिजनौर।

उपरोक्तानुसार अभियुक्तगण नीरज देवी, श्रीमती फल्लो, श्रीमती पूनम, श्रीमती गुडडो, नरेन्द्र कुमार, कपिल, जीतू कुमार, कुन्दन, रामेश, गगन, विशाल, विपिन उर्फ पेपिन के विरूद्व धारा 147,323/149,336,427,504,506 भा0दं0सं0 व 3(1)द, 3(1)ध एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। आरोप से अभियुक्तगण ने इन्कार किया और विचारण की याचना की। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 01–06–2023 को पेश हो, गवाहान तलब हो।

दिनॉक 18–05–2023

(अवधेश कुमार)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0(पी.ए.)एक्ट
बिजनौर।